

466

123

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(42)नवि/3/2013

जयपुर, दिनांक : 20.04.2013

आदेश

नगरीय क्षेत्रों एवं उनके परिधि क्षेत्रों में सम्मिलित गांव के खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी/सहखातेदारी की भूमि पर निवास गृह बनाये हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में शामिल होने से पहले इन गांव के खातेदार आसामियों को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्पत्तिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के निवास गृह या पशुशाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिए बिना कोई सम्पत्तिवर्तन शुल्क दिये सम्पत्तिवर्तन कराने का अधिकार था।

उक्त स्थिति को देखते हुए "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र के परिधि क्षेत्रों में भी खातेदार/सहखातेदार द्वारा प्रत्येक को खातेदारी की कृषि भूमि पर अधिकतम 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल पर निर्मित आवास का नियमितिकरण निःशुल्क किया जाकर पट्टा दिया जावेगा। उक्त पट्टे के लिए बाह्य विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क देय नहीं होंगे तथा उक्त भूखण्ड के लिए ले-आउट प्लान अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होगी। भविष्य में यदि उक्त खातेदार के आवास के आस-पास के खसरा नम्बरों पर कोई आवासीय योजना विकसित की जाती है तो उक्त आवास का समायोजन उस आवासीय योजना के ले-आउट प्लान में किया जायेगा। अर्थात् उक्त आवास गृह आवासीय योजना का भाग बन जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 30.06.2013 तक बढ़ायी गयी है। इसमें पूर्व में प्राप्त प्रकरणों का फॉलोअप किया जायेगा तथा नये आवेदन भी प्राप्त किये जायेंगे। परिधि क्षेत्रों में स्वयं की खातेदारी/सहखातेदारी की कृषि भूमि पर निर्मित आवास (अधिकतम 500 वर्गमीटर तक) का नियमितिकरण किये जाने हेतु दिनांक 30.06.2013 तक आवेदन कर दिया जाता है तो उक्त निर्मित आवास का नियमितिकरण निःशुल्क किया जायेगा तथा अन्य शुल्क देय नहीं होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101300894 दिनांक 20.04.2013 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(400)

क्रमांक प.3(42)नविवि/3/2013

जयपुर, दिनांक : 20.04.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवा. एवं स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/वित्त विभाग।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान।
9. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
10. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त आदेश समस्त संबंधित को प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
14. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
15. रक्षित पत्रावली।

20/4/2013
(एन०एल०सी०)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

(401)